न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 64/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00180

प्रार्थीगणः— **बनाम** **अप्रार्थीगण :—**

1. पुनमसिंह पुत्र गोमसिंह
2. भवंरसिंह पुत्र गोमसिंह
   जातिगण रावत निवासीगण सारण तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

1. मंगलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
2. मालसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
3. नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह पौत्र अर्जुनसिंह
   जातिगण रावत, निवासीगण सारण तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
4. सरपंच ग्राम पंचायत सारण तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :—

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।
2. अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

—: निर्णय :—

दिनांक : 29.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 92/1972 दिनांक 25.12.1972 संकल्प संख्या 23 दिनांक 25.12.1972 व उसी पालना में अर्जुनसिंह पुत्र लालसिंह रावत के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 28.12.1972 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के पडौस में पश्चित दिशा में भाकरी तथा पूर्व दिशा में खाती का खेत अंकित है अर्थात इनके मध्य में जैर निगरानी पट्टा जारी किया हुआ है जबकि इनके मध्य में खसरा नम्बर 825 की भूमि है जो कि गै.मु.गोचर है जिस पर किसी भी प्रकार का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। पूर्व दिशा में जो खाती का खेत बताया गया है उसे प्रार्थीगण ने रायचन्द से खरीद किया था जिसके खसरा नम्बर 827 है तथा वर्तमान में वह कृषि भूमि है जिसके खातेदार प्रार्थीगण है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा संख्या 822 व 823 है जबकि जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत ने आबादी भूमि से परे जाकर गोचर की भूमि पर जारी कर दिया जो विधिविरूद्ध है। साथ ही उक्त पट्टे का क्षेत्रफल 5267 वर्ग गज है। खसरा नम्बर 827 जो कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है के पश्चिम की तरफ गोचर भूमि पर जिस

अति. जिला कलक्टर, पाली

पर प्रार्थीगण का कब्जा रहा है, जिस बाबत् धारा 91 के तहत प्रकरण भी दर्ज हुआ है जिसमें जुर्माना की राशि भी पूर्व में जमा करवाई गई है, जिस कारण अप्रार्थीगण वर्तमान में भी कब्जे से बाहर है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने इसके सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2009(2)(RAJ) 1060, DNJ 2017(2)(RAJ) 668 पेश कर जैर निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 3 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे के भूखण्ड पर पट्टाधार के वारिसान अप्रार्थीगण का मकान व बाडा बनाकर कब्जा है जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी बाधा से किया जा रहा है। दिनांक 10.05.2019 को बाड का विवाद होने पर ग्राम पंचायत की ओर से मौके देखा जाकर भूखण्ड के चारो ओर बाड जो रास्ते को अवरूद्ध करती हुई पायी गई जिसको मौके पर हटवाया जाकर रास्ते को चोडा किया जाकर विवाद का निस्तारण किया गया। प्रार्थीगण द्वारा जो गोचर की भूमि बताई गई है व असल में गौचर की भूमि नहीं है बल्कि आबादी की भूमि है जो राजस्व रेकर्ड में गलती से द्वितीय सेटलमेन्ट के बाद गोचर की भूमि दर्ज हो गयी। प्रार्थीगण को जैर निगरानी प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। वादस्थ भूमि आबादी में दर्ज होने से अप्रार्थीगण के पूर्वज के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है जो सही है। पूर्व खसरा संख्या 277/1 व 277/2 गैर मुमकिन आबादी है तथा वर्तमान खसरा संख्या 825 पूर्व में गैर मुमकिन भाकर व आबादी थी तथा वर्तमान में यदि राजस्व रेकर्ड में गोचर दर्ज की गई है जो गलत है। वर्तमान में 825/1 को भी आबादी में दर्ज कर दिया गया है। पट्टाधारक ने ग्राम पंचायत में आवेदन करने के बाद दिनांक 03.09.1972 को रसीद संख्या 30 के द्वारा 5 रूप्ये 50 पैसे तथा दिनांक 28.12.1972 को 400/– रूप्ये की रसीद काटी गई है, उसके पश्चात गवाहो के बयान कलमबद्ध किये जाकर सर्वसम्मति से अप्रार्थी के पूर्वज अर्जुनसिंह के नाम जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो सही है। प्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी करीबन 47 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है जो परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैन निगरानी ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 92/1972 दिनांक 25.12.1972 संकल्प संख्या 23 दिनांक 25.12.1972 व उसी पालना में अर्जुनसिंह पुत्र लालसिंह रावत के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 28.12.1972 के विरूद्ध पेश की है। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के तहत अर्जुनसिंह के पक्ष में जारी किया गया था जिसके लिये पट्टाधारक द्वारा 400/– रूप्ये जमा करवाये गये थे। जैर निगरानी पट्टे में अंकित चतुर्दशी अनुसार उत्तर दिशा में रामचन्द्र महाजन का खेत, दक्षिण दिशा में पगदण्डी रास्ता है, केम्प तरफ जाने वाली गली है, पूर्व दिशा में आम रास्ता है व हिराजी खाती का खेत तथा पश्चिम दिशा की तरफ भाकरी है। पत्रावली के संलग्न नजरी नक्शा तथा पट्टे की चतुर्दशी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 825 में जारी किया गया है, जो गै.मु.गोचर की भूमि है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया कि अर्जुनसिंह पुत्र लालसिंह रावत के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 825 की भूमि में दिया गया है जो पूर्व में गै.मु.भाकर व आबादी था तथा वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में गोचर

अति. जिला कलक्टर, पाली

दर्ज है जो गलत है किन्तु ग्राम सारण तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 825 गै.मु.गोचर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अर्थात् ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 255 की पालना नहीं करते हुये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो काबिल खारिज है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा अर्जुनसिंह के पक्ष में 5267 वर्ग गज क्षेत्रफल का पट्टा जारी किया है जो गाम पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया है जो विधिविरूद्ध होने से कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

.उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे में अंकित चतुर्दशी व नजरी नक्शे अनुसार उक्त पट्टा खसरा संख्या 825 की भूमि में जारी किया गया है। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि अर्जुनसिंह पुत्र लालसिंह रावत को जारी जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 825 की भूमि में दिया गया है जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में गोचर दर्ज है जो कि ग्राम सारण की जमाबन्दी के अवलोकन से भी स्पष्ट है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा 5267 वर्ग गज क्षेत्रफल को पट्टा जारी किया है जो विधिविरूद्ध है। इसलिये जैर निगरानी पट्टे को यथावत् रखाजाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत सारण द्वारा मिसल संख्या 92/1972 दिनांक 25.12.1972 संकल्प संख्या 23 दिनांक 25.12.1972 की पालना में अर्जुनसिंह पुत्र लालसिंह रावत के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 23 दिनांक 28.12.1972 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/5/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली